Web site: www.kvsangathan.nic.in
Web site: www.ropatna.kvs.gov.in
E-mail address: kvsropatna@yahoo.com

**केन्द्रीय विद्यालय संगठन**
शिक्षा मंत्रालय,भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय
**क्षेत्रीय कार्यालय**
लोहियानगर, कंकड़बाग
पटना-800020(बिहार)

7070093670(DC)
7070093671(AC)
0612-2361701(AO/FO)
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN**
[An Autonomous Body under Ministry of Education,Govt. of India]
**REGIONAL OFFICE**
**P.O.: Lohia Nagar, Kankarbagh**
**Patna – 800 020 (Bihar)**

फा.28025/राजभाषा हिंदी/ 2020/ के.वि.सं.प.सं / 14511-62 दिनांक: 14.09.2020

**ई-मेल/द्रुत-डाक**

प्राचार्य
समस्त केन्द्रीय विद्यालय
पटना संभाग |

**विषय : हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री का संदेश एवं आयुक्त महोदया द्वारा जारी अपील के प्रेषण के संबंध में |**

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में, हिंदी दिवस के अवसर पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय, नई दिल्ली के पत्रांक फा.सं. 11025/16/15/ केविसं.(मु०)/हिं /6180-6214 दिनांक 14 सितंबर 2020 द्वारा अग्रसारित, **माननीय शिक्षा मंत्री का संदेश एवं आयुक्त महोदया द्वारा जारी अपील** संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि 14 सितंबर, हिंदी दिवस के अवसर पर विद्यालयों में इनका वाचन किया जाए |

भवदीय

संलग्नक : यथोक्त |

(वाई. अरुण कुमार)
उपायुक्त 14/09/2020

प्रेरणा

निधि पाण्डे, भा.सू.से.
आयुक्त
**Nidhi Pandey, I.I.S.**
Commissioner

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

**केन्द्रीय विद्यालय संगठन**
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN**
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 91–11–26512579, फैक्स : 91–11–26852680
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016 (India)
Tel. : 91-11-26512579, Fax : 91-11-26852680
E-mail : kvs.commissioner@gmail.com, Website : www.kvsangathan.nic.in

# अपील

भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया। 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ–साथ संविधान की धारा 343 के अनुसार हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। भारतीय संविधान की धारा 351 में भारत सरकार को यह कार्य सौंपा गया कि वह हिंदी भाषा का प्रचार–प्रसार करे और उसका विकास करें ताकि हिंदी भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों व अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग सृजित होने के पश्चात् वर्ष 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए, जिन्हें राजभाषा नियम 1976 के नाम से जाना जाता है। राजभाषा हिंदी को सभी कार्यालयों में लागू करने के लिए सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

हिंदी एक समृद्ध भाषा है, इसकी प्रकृति अत्यंत सरल है। इसकी लिपि वैज्ञानिक है। यह जिस प्रकार से लिखी जाती है वैसे ही बोली जाती है, इसकी शब्द संपदा अत्यंत समृद्ध है। हिंदी में अन्य भाषाओं और बोलियों के शब्दों को समाहित करने की भरपूर क्षमता है। हिंदी भाषा की इन्हीं विशिष्टताओं के कारण ही आज विश्व के अनेक देशों और विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का अध्ययन–अध्यापन किया जा रहा है और अनेक विदेशी छात्र–छात्राएं प्रतिवर्ष हिंदी पढ़ने के लिए भारत में आ रहे हैं। वर्तमान में विश्व पटल पर भी हिंदी का अपना विशिष्ट स्थान है।

जहाँ तक केंद्रीय विद्यालय संगठन का संबंध है इसके सभी कार्यालयों (मुख्यालय, अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थानों और केंद्रीय विद्यालयों) में राजभाषा संबंधी आदेशों, नियमों, अधिनियमों इत्यादि के अनुपालन हेतु समय–समय पर विभिन्न कदम उठाए जाते रहे हैं। परिणामस्वरूप संगठन के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी हिंदी को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को अवश्य पूर्ण करेंगे।

अतः मैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन परिवार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करती हूँ कि आइए हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि भविष्य में अपना सरकारी काम मूलतः हिंदी में करें। साथ ही इस वर्ष कोविड–19 महामारी के कारण कार्यालयों में हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा इत्यादि के आयोजन और हिंदी प्रतियोगिताओं के दौरान समुचित दूरी और गृह मंत्रालय द्वारा जारी सावधानियों/उपायों का विशेष ध्यान रखें तथा ऐसे कार्यक्रम यथासंभव वर्चुअल आधार पर आयोजित करने के प्रयास किए जाएं।

**एक बार पुनः हिंदी दिवस की बहुत–बहुत शुभकामनाएँ।**

निधि पाण्डे

दिनाँकः– 14 सितम्बर, 2020

(निधि पाण्डे)
आयुक्त

743924/2020/HRM Office

रमेश पोखरियाल 'निशंक'
Ramesh Pokhriyal 'Nishank'

सत्यमेव जयते

मंत्री
मानव संसाधन विकास
भारत सरकार
MINISTER
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

## संदेश

किसी भी देश के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में उस देश की भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह संपूर्ण राष्ट्र की एकता और अखंडता की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। भारत के संदर्भ में यह भाषा हिंदी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि - "राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।"

यह वर्ष हमारे देश और हमारे मंत्रालय के लिए ऐतिहासिक है। इस वर्ष देश के भविष्य को गढ़ने वाली, हिंदी व समस्त भारतीय भाषाओं को सुदृढ़ करने वाली और भारत की बहुभाषिकता को रेखांकित करने वाली ऐतिहासिक शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। इस शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषाओं मे देने संबंधी प्रावधान व अन्य भाषा संबंधी प्रावधानों का देश में व्यापक स्वागत हुआ है। इससे हिंदी और भारतीय भाषाओं के अध्ययन और अध्यापन के व्यापक स्तर पर रास्ते खुले हैं। यह हिंदी व भारतीय भाषाओं के लिए एक नए अध्याय की शुरूआत है।

हिंदी के राष्ट्रव्यापी विस्तार में हिंदीतर क्षेत्र के राष्ट्रीय नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमें भी अन्य भारतीय भाषाओं से समन्वय, सद्भाव और संवाद के रास्ते से संविधान के अनुच्छेद 351 की भावना के अनुसार राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास और समृद्धि में सहयोग देना है।

आज प्रौद्योगिकी का युग है। हम हिंदी के प्रचार -प्रसार में यथासंभव प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। हमें भाषा दक्ष होने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी सक्षम भी होना होगा। इससे हमारे काम की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2015 में भोपाल में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी के प्रचार-प्रसार में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया है।

हिंदी के विकास और प्रचार-प्रसार की दृष्टि से शिक्षा मंत्रालय अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। आइए हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हम प्रतिज्ञा करें कि हम सरकारी कामकाज में अधिक-से-अधिक हिंदी का प्रयोग करेंगे और सभी मन वचन और कर्म से प्रतिबद्ध होकर हिंदी के संवर्द्धन में सहयोग देंगे। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मेरी शुभकामनाएँ।

(रमेश पोखरियाल 'निशंक')

सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा

स्वच्छ भारत

Room No. 3, 'C' Wing, 3rd Floor, Shastri Bhavan, New Delhi-110 115
Phone : 91-11-23782387, 23782698, Fax : 91-11-23382365
E-mail : minister.hrd@gov.in